न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/104

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
केसाराम पुत्र मोड़ाराम जाति पटेल निवासी ग्राम खांडी तहसील रोहट जिला पाली राजस्थान।		1. बलाराम पुत्र जगाराम जाति पटेल निवासी ग्राम खांडी तहसील रोहट जिला पाली राजस्थान। 2. सरपंच ग्राम पंचायत खांडी पंचायत समिति रोहट

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रेवत सिंह केसरिया।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण उपाध्याय।

–: निर्णय :–

दिनांक : 09/12/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खांडी द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 13.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 13.12.2009 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी केसाराम का ग्राम खाण्डी में पुश्तैनी कब्जा शुदा भुखण्ड स्थित है जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में ढलाराम पुत्र नथाराम का मकान, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूर्व दिशा में गौतमराम पुत्र घेवराम नाई का मकान तथा पश्चिम दिशा में रास्ता स्थित है। ग्राम पंचायत ने मेरे भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिया। जैर आराजी का कब्जा व रहवास कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के पास नहीं रहा। जैर निगरानी पट्टे पर हस्ताक्षर नहीं है तो उसे जारी किया हुआ भी नहीं माना जायेगा। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त भी कर दिया गया फिर भी अप्रार्थी उक्त पट्टे की आड़ में मौके पर कब्जे करने हेतु आमदा है। अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे के अतिरिक्त भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा है। जैर निगरानी पट्टे हेतु अप्रार्थी ने न तो आवेदन पेश किया, न ही कोई मिसल दर्ज की, न मौका निरीक्षण किया गया, न आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि यदि उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत ने ही अगर निरस्त कर दिया हो तो उक्त निगरानी किस पट्टे

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के सम्बन्ध में पेश की गई है और यदि प्रार्थी बेदखली के लिये आये है तो उन्हे सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। जैर निगरानी पट्टे की ग्राम पंचायत में मिसल उपलब्ध नहीं है जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर और पट्टा बुक है। मुझे ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे की जो प्रति दी गई उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर है यदि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रेकर्ड में जैर निगरानी पट्टे पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है तो उसके लिये अप्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि उक्त पट्टा उनकी भूमि पर जारी किया गया हो। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये आबादी भूमि में अप्रार्थी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो कि विधिनुसार है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत खांडी द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 13.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 13.12.2009 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की भूमि पर जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह प्रकट हो सके कि प्रश्नगत पट्टा उनके भूखण्ड पर जारी किया गया हो। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने भूखण्ड पर पट्टा होने का केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी था कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त किया जा चुका है और उक्त पट्टे पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा ही उक्त पट्टा निरस्त किया जा चुका है तो उक्त निगरानी किस पट्टे के सम्बन्ध में है और ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को जो पट्टा दिया गया उस पर सभी के हस्ताक्षर है, यदि ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उक्त पट्टे पर हस्ताक्षर नहीं है तो उसके लिये अप्रार्थी दोषी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध जैर निगरानी पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच, अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर है तथा उस पट्टे पर संकल्प संख्या ..... की अनुपालना में आज दिनांक 20.12.2009 अंकित है जबकि ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड में पट्टा बुक का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि पट्टा संख्या 20 पर किसी भी व्यक्ति, सरपंच, ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है और उक्त पट्टा संकल्प संख्या 1 की अनुपालना में आज दिनांक 13.12.2009 को जारी होना बताया है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे को खारिज किया है अर्थात् ग्राम पंचायत ने भी उक्त पट्टे को विधिनुसार नहीं माना है हालांकि किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य का परिक्षण किये जाने का क्षेत्राधिकारी न्यायालय हाजा को है और उसी अनुरूप प्रार्थी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध प्रश्नगत निगरानी याचिका पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रति और ग्राम पंचायत की मूल पट्टा बुक दोनों में संकल्प संख्या एवं उसकी तारीख तथा हस्ताक्षरों में अन्तर पाया गया है, यह स्थिति परस्पर विरोधाभाषी है जो कि प्रश्नगत पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न प्रकट करती है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है उस प्रस्ताव का बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकन हीं नहीं है। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.12.2009 के पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 20.12.2009 को हुई तथा कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 13.12.2009 का अंकन ही नहीं है अर्थात् जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 13.12.2009 की पालना में जारी किया गया है, उस दिनांक को ग्राम पंचायत की कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का अस्तित्व ही नही है, यानी पट्टा नियमविरूद्ध तरीके से जारी किया गया। किसी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक, प्रस्ताव की स्वीकृति और पारदर्शिता जरूरी है, बिना प्रस्ताव पट्टा जारी करना अवैध कार्य है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 13.09.2021 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत में नहीं है और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत पट्टा जिस संकल्प की पालना में जारी किया गया वह प्रस्ताव भी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी आराजी की दक्षिण दिशा में 50 गुणा 40 की भूमि पर कांटों की बाड़ कर अतिक्रमण कर रखा है, जहां तक अतिक्रमण का प्रश्न है प्रार्थी इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खाण्डी द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 13.12.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 13.12.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली